न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-84RAAJodhpur2026-28RTA223 Rupodevi Vs Mohansingh etc

रूपोदेवी पुत्री प्रभुसिंह, जाति दरोगा, निवासी राजीव गाँधी कॉलोनी, गोल्डन पैलेस नागौर रोड, फलौदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोहनसिंह पुत्र चिमनसिंह,
2. आसुसिंह पुत्र बागसिंह,
3. जगदीशसिंह पुत्र बागसिंह,
4. श्रवणसिंह पुत्र बागसिंह,
5. लिछमी पत्नी बागसिंह,
6. ताराकंवर पत्नी दलपतसिंह उर्फ दलाराम,
7. शेरसिंह पुत्र दलपतसिंह उर्फ दलाराम,
8. पोकरसिंह पुत्र चिमनसिंह,
   सभी जाति दरोगा, निवासीगण श्रीलक्ष्मीण नगर तहसील आऊ फलौदी।
9. यूको बैंक शाखा श्रींष्ण नगर जरिये शाखा प्रबन्धक,
10. श्रीमान तहसीलदार आऊ,
11. श्रीमान उपपंजियक, आऊ,

रेस्पोडेंट्स....

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 49/2024 मोहनसिंह बनाम आसुसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री पवन चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक, तीन से आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दस

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीनी ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2024 अनवान मोहनसिंह बनाम आसुसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीनी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1241 रकबा 0.0405 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1242/05 रकबा 10.1414 हैक्टेयर ग्राम श्री लक्ष्मण नगर तहसील आऊ के संबंध में धारा 53, 188 एवं 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी के सही पत्ते पर सम्मन की तामील करवाये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी करते वक्त न तो अपीलार्थीनी की सुनवाई की गई और न ही अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त को ध्यान में रखा गया है। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीनी के हिस्से की मुख्य सड़क की भूमि को मोहन सिंह, आसुसिंह, पोकरसिंह व शेरसिंह के हिस्से में अलग अलग टुकड़ो में रख दी, जबकि मौके पर अपीलार्थीनी का कब्जा काश्त है। यह उल्लेखनीय है तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपीलार्थीनी को सूचित किये बिना उसकी अनुपस्थिति में रेस्पोडेण्टगण से मिलीभगत कर तैयार किया गया है। अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि को इस बंटवाड़े की आड़ में हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलद्वय के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना उसकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2025 पारित किये जाने से अपीलार्थीनी को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 26.01.2026 को जब अपीलार्थीनी अपने गाँव गई, तब हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दी, जिस पर अपीलार्थीनी ने सहायक कलेक्टर न्यायालय आऊ से नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया एवं दिनांक 27.01.2026 को नकल प्राप्त होने पर आदेश की सम्पूर्ण जानकारी हुई एवं जानकारी होते ही अपीलार्थीनी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी तिथि से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व रेवेन्यु बोर्ड ने अपने निर्णय नजिरों में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपील को म्याद के बिन्दु पर खारिज नही करके मैरिट पर निर्णित किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2024 अनवान मोहनसिंह बनाम आसुसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, तब विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर से तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये है। तहसीलदार आऊ द्वारा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा सड़क पर सभी को समानुपात में भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव विधिनुसार सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील म्याद बाधित तथा सारहीन होने खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपील मीमों एवं अपीलार्थीनी की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति के मुताबिक अपीलार्थीनी का निवास राजीव कॉलोनी फलोदी बताया गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी के सम्मन श्रीलक्ष्मणनगर तहसील आऊ के गलत पत्ते पर तामील करवाये जाने से अपीलार्थीनी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.08.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार आऊ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलार्थीनी को सम्यक रूप से सूचित किये बिना, उसकी अनुपस्थिति में मौके पर पक्षकारान् के वर्तमान कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार आऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव में मुख्य सड़क पर सभी पक्षकारान् को समान अनुपात में भूमि दिये जाने के बजाय अपीलार्थीनी के हिस्से की भूमि के सामने रेस्पोडेंट्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि दी गई है जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2024 अनवान मोहनसिंह बनाम आसुसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 सितंबर 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार आऊ से विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर